कर्मचारी चयन आयोग

विज्ञप्ति

विज्ञापन की तिथि : 31.12.2016

परीक्षा की तिथि : 16.04.2017, 30.04.2017,07.05.2017

अंतिम तिथि : 30.01.2017

विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मल्टी टास्किंग (गैर-तकनीकी)स्टाफ के पदों पर भर्ती 2016

अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश

सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

फा.सं. 3/6/2016 नी. व यो.I(खण्ड-I) कर्मचारी चयन आयोग विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों में एक सामान्य केन्द्रीय सरकारी समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय पद में वेतन बैंड-I (5200-20200/- रुपए) + ग्रेड वेतन 1800/- रुपए(सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के पश्चात् संशोधित वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-01), में **मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती कर रहा है ।** आयोग 16.04.2017, 30.04.2017 और 07.05.2017 तथा यदि आवश्यक हुआ तो उत्तरवर्ती तारीखों को विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में इन पदों के लिए सभी आवेदकों के लिए एक समान परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव करता है । परीक्षा में अभ्यर्थियों के निष्पादन के आधार पर छांटे गए अभ्यर्थियों को बुनियादी भाषा कौशलताओं की परीक्षा के लिए एक वर्णनात्मक प्रकार की अर्हक प्रश्न-पत्र में शामिल होने की आवश्यकता होगी। वर्णनात्मक प्रश्पन पत्र की तिथि यथा समय निर्धारित की जाएगी।

2. रिक्तियां/आरक्षण : विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दर्शाई रिक्तियों की स्थिति अनन्तिम है । मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों के लिए रिक्तियों की निश्चित संख्या यथा समय निर्धारित की जाएगी ।(अनुबंध-XI)

टिप्पणी I: अजा/अजजा/अपिव/भूपूसै/शादि आदि श्रेणियों के लिए आरक्षण विद्यमान सरकारी आदेशों के अनुसार उपलब्ध है ।

टिप्पणी II : आयोग के पास सरकार के अधीन अन्य मंत्रालयों/ संगठनों में इस भर्ती से सदृश पदों को भरने का अधिकार है ।

3. शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पात्रता/ अनुमत दिव्यांगता

एक पैर से प्रभावित(एक पैर), एक बांह से प्रभावित(एक बांह), एक बांह एक पैर से प्रभावित (एक बाहं एक पैर), दोनों पैर से प्रभावित किन्तु बांह से नहीं(दोनों पैर), अंधा(अंधा), कम दृष्टि(क.दृि.), श्रवण(श्र), संप्रेक्षण (सी) मल्टी टास्किंग पद के लिए पात्र हैं।

4. राष्ट्रीयता/नागरिकता:

अभ्यर्थी या तो

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो , या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी,1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या,यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया(भूतपूर्व टंगानिका व जंजीबार), जांबिया , मालावी,जायरे, इथोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन किया हो।

बशर्ते कि उपरोक्त (ख),(ग),(घ) तथा (ड.) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका हो ।

ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही दिया जाएगा ।

5(क). **01.08.2017 को आयु सीमा 18 से 25 वर्ष**(अर्थात् उसका जन्म 02.08.1992 से पहले और 01.08.1999 के बाद न हुआ हो)

टिप्पणी:।: अभ्यर्थी यह नोट कर लें कि आयोग द्वारा आयु पात्रता के निर्धारण के लिए आवेदन पत्र जमा करने की तिथि को मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या किसी समकक्ष प्रमाणपत्र में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

5(ख) उपरोक्त पैरा 4(क) के अंतर्गत निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट:

गणना की तिथि को आयु में छूट के दावे के लिए श्रेणी कोड :

कोड	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट
01	अजा/अजजा	05 वर्ष
02	अ पि व	03 वर्ष
03	शा दि +प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात	10 वर्ष
04	शा दि + अपिव +प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात	13 वर्ष
05	शा दि + अजा / अजजा +प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात	15 वर्ष
09	भूतपूर्व सैनिक(अनारक्षित /सामान्य)	अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
10	भूतपूर्व सैनिक (अपिव)	अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 06 वर्ष (3वर्ष +3वर्ष)
11	भूतपूर्व सैनिक (अजा/अजजा)	अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 08 वर्ष(3वर्ष +5वर्ष)
15	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (सामान्य/अनारक्षित)जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	40 वर्ष की आयु तर्क
17	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अपिव) जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	43 वर्ष की आयु तक
19	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजा/अजजा) जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	45 वर्ष की आयु तक
21	अभ्यर्थी जो साधारणतया जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों **(अनारक्षित /सामान्य)**।	05 वर्ष
22	अभ्यर्थी जो साधारणतया जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों **(अपिव)**।	08 वर्ष
23	अभ्यर्थी जो साधारणतया जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों **(अजा/अजजा)**।	10 वर्ष

24	विधवा/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुन: विवाह न किया हो **(अनारक्षित /सामान्य)**	35 वर्ष की आयु तक
25	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुन: विवाह न किया हो **(अपिव)**	38 वर्ष की आयु तक
26	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुन: विवाह न किया हो **(अजा/अजजा)**	40 वर्ष की आयु तक
27	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए अथवा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अनारक्षित /सामान्य)	03 वर्ष
28	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए अथवा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अ पि व)	06(3+3) वर्ष
29	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए अथवा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अजा/अजजा)	08 (3+5)वर्ष
33	सशस्त्र सेना में अपनी कलर सेवा के अन्तिम वर्ष में सैन्य क्लर्क(अनारक्षित /सामान्य)	45 वर्ष की आयु तक
34	सशस्त्र सेना में अपनी कलर सेवा के अन्तिम वर्ष में सैन्य क्लर्क(अ पि व)	48 वर्ष की आयु तक
35	सशस्त्र सेना में अपनी कलर सेवा के अन्तिम वर्ष में सैन्य क्लर्क (अजा/अजजा)	50वर्ष की आयु तक
36	भारत के महापंजीयक के कार्यालय के छांटे गए जनगणना कर्मचारी (अनारक्षित /सामान्य) (उन पर उनके योग्यता क्रम और रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर भारत के महापंजीयक के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों के लिए ही विचार किया जाएगा)	**3 वर्ष + छंटाई से पूर्व जनगणना के संबंध में उनके द्वारा दी गई सेवा की अवधि, और पूर्व सेवा का लाभ**
37	भारत के महापंजीयक के कार्यालय के छांटे गए जनगणना कर्मचारी (अ पि व) (उन पर उनके योग्यता क्रम और रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर भारत के महापंजीयक के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों के लिए ही विचार किया जाएगा)	**यथा + 3 वर्ष**
38	भारत के महापंजीयक के कार्यालय के छांटे गए जनगणना कर्मचारी (अजा/अजजा) (उन पर उनके योग्यता क्रम और रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर भारत के महापंजीयक के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों के लिए ही विचार किया जाएगा)	**यथा + 5 वर्ष**

टिप्पणी: I ऐसे भूतपूर्व सैनिक शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर समूह 'ग' पदों में पहले से ही नौकरी प्राप्त कर ली है । तथापि, वे उत्तरवर्ती नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते है यदि वे सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के बाद तुरन्त विभिन्न रिक्तियों जिसके लिए उसने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त,2014 के का.ज्ञा.सं. 36034/1/2014-स्था(आर.) में यथा उल्लिखित प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण से पहले रिक्तियों के लिए आवेदन किया था, के आवेदनों का तिथि वार ब्यौरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वत: घोषणा/करता है/करती है/वचन देता है/वचन देती है ।

टिप्पणी: II सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "कॉल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी ।

टिप्पणी: III आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओ के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो और/अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित पात्रता को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह *अन्तिम तिथि* से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओ की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा।

स्पष्टीकरण: भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से है-

(i) जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना मे लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रुप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

(क) इसमें वे व्यक्ति शामिल हैं जो अपने अनुरोध पर ऐसी सेवा से कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त हुए हों अथवा नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किए जा रहे हो, किंतु अपनी पेंशन लेने के बाद; या

(ख) जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो; या

(ग) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरुप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो; या

(ii) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं,नामत: निरंतर मूर्त्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी ; अथवा

(iii) सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अक्षम होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए है और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पैंशन मिली हुई है; अथवा

(iv) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल,1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे; अथवा

(v) प्रांतीय सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता ; अथवा

(vi) भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा अशक्तता पेंशन दी गई है।

स्पष्टीकरण II : संघ की सशस्त्र सेनाओं में कार्यरत व्यक्ति जो सेवा से निवृत्त होने के पश्चात "भूत पूर्व सैनिक" की श्रेणी में आएंगे, को सेवा की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी करने से **एक वर्ष** पहले अंतिम तिथि के पश्चात् एक वर्ष के भीतर जो भी पहले हो, पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन करने तथा भूपूसै. की सभी रियायतों का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु उन्हें तब तक वर्दी (यूनिफार्म) छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वे संघ की सशस्त्र सेनाओं में सेवा की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी नहीं कर लेते।

टिप्पणी: IV *भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट स्वीकार्य नहीं है ।*

टिप्पणी: V सैन्य लिपिक, जो सशस्त्र सेना में अपनी सैन्य(कलर) सेवा के अन्तिम वर्ष में हों अर्थात् 30.01.2017- 29.01.2018 की अवधि के दौरान सेना से कार्यमुक्त होने वाले हों, केवल आयु में छूट पाने के पात्र हैं । ऐसे अभ्यर्थी शुल्क में किसी रियायत के हकदार नहीं हैं । ऐसे अभ्यर्थी योग्यता क्रम और रिक्तियों की उपलब्धता के अध्यधीन केवल सशस्त्र सेना मुख्यालय एवं अन्त: सैन्य संगठन की रिक्तियों के लिए ही प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र होंगे जो कि भूतपूर्व सैनिको के लिए आरक्षित नहीं है ।

टिप्पणी: VI 1994 की अपील संख्या 731-69 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 24.02.1995 के निर्णय के अनुसार जनगणना से संबंधित छंटनी किए गए कर्मचारियों के लिए भारत के महापंजीयक के कार्यालय में केवल समूह 'ग' के पद के लिए ही आयु में छूट निम्नलिखित रूप में उपलब्ध होगी :

(i) **3वर्ष तक आयु में छूट + छंटनी से पूर्व जनगणना के संबंध में उनके द्वारा की गई सेवा की अवधि**

(ii) **पूर्व सेवा का लाभ**

5(ग) प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्र का प्रारुप:

जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित तिथि अथवा उससे पूर्व जारी अपेक्षित प्रमाणपत्र विहित प्रारूप में तब प्रस्तुत करना होगा, जब ऐसे प्रमाणपत्रों की मांग संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाए । अन्यथा अजा/अजजा/अपिव/शादि/ भूपूसै की स्थिति के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता/आवेदन को सामान्य (अना) श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा । **प्रमाणपत्रों के प्रारुप संलग्न है** । किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाण पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा । क्रीमी लेयर दर्जे के लिए केवल दिनांक 30.01.2014 से 29.07.2017 के बीच में जारी प्रमाणपत्र को स्वीकार किया जाएगा । अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/ अजजा/अपिव/भूपूसै/शादि दर्जे का दावा करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से उन्हें स्थायी तौर पर वारित कर दिया जाएगा ।

टिप्पणी - I : अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/ अजजा/अपिव/भूपूसै/ शादि दर्जे का दावा करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से उन्हें स्थायी तौर पर वारित किया जा सकता है ।

5(घ) चालीस प्रतिशत और उससे अधिक की दृष्टि दिव्यांगता वाले **दृष्टि दिव्यांग (दृ.दि.)** अभ्यर्थी तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में **प्रलिपिक** की सहायता लें सकते हैं, बशर्ते कि यह अनुरोध आवेदन पत्र में किया जाए । प्रश्न-पत्र एवं उत्तर पत्रिका **ब्रेल** में उपलब्ध नहीं करायी जाएंगी ।

परीक्षा परिसर के अन्दर दृ.दि./प्रमस्तिष्कीय प्रक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ किसी परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

टिप्पणी : **चालीस प्रतिशत से कम** की दृष्टि दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को दृष्टि दिव्यांग नहीं माना जाएगा । **एक आँख वाले अभ्यर्थी** और आंशिक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थी जो सभी अभ्यर्थियों के लिए तैयार किए गए सामान्य प्रश्नपत्र को आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) से अथवा बिना आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) के पढ़ने में सक्षम हैं और जो आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) की सहायता से उत्तर लिखना/दर्शाना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा भवन में आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) का प्रयोग करने की

अनुमति दी जाएगी तथा **वे प्रलिपिक के लिए हकदार नहीं होंगे ।** ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन में स्वयं अपना आवर्धक लैन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) लाना होगा । इसी तरह चालीस (40%) प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले अन्य व्यक्ति अदि/श्रदि श्रेणी के लिए विचार नहीं किया जायेगा, जैसा भी मामला प्रयोज्य हो।

6. शैक्षिक योग्यता: (01.08.2017 को)

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा **अवश्य उत्तीर्ण की हो।**

जिन अभ्यर्थियों ने 01.08.2017 को शैक्षिक योग्यता प्राप्त नहीं की है लेकिन वे इसे प्राप्त कर लेंगे और इसके समर्थन में बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त कर लेंगे, वे भी इसके लिए पात्र होंगे ।

7. **भुगतान का तरीका** : **आवेदन शुल्क तथा भुगतान का तरीका : 100/-रु(एक सौ रुपए मात्र)**

अभ्यर्थी नोट करें कि http://ssconline.nic.in पर केवल ऑनलाइन आवेदनों को ही स्वीकार किया जायेगा।

सभी महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग व्यक्तियों और आरक्षण के लिए पात्र भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित अभ्यर्थियों को वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है ।

7(i) वे अभ्यर्थी, जिन्हें परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गई है, वे अपेक्षित शुल्क का भुगतान केवल भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से या तो ऑनलाइन तैयार किए गए चालान के द्वारा अथवा भारतीय स्टेट बैंक नेट-बैकिंग के माध्यम से कर सकते हैं । भुगतान किसी क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड के माध्यम से भी किया जा सकता है ।

7(ii) एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किन्हीं भी परिस्थितियों में लौटाया नहीं जाएगा ।

8. परीक्षा केन्द्र

अभ्यर्थी जिस परीक्षा केन्द्र में परीक्षा देना चाहता है, उस परीक्षा केन्द्र का आवेदन प्रपत्र में अवश्य उल्लेख करें :-

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	राज्य वरीयता कोड	परीक्षा केंद्र और केंद्र कोड	क्षेत्रीय कार्यालय का पता
1.	2.	3.	4.
चण्डीगढ़	ए	चण्डीगढ़(1601)	उप-निदेशक(पश्चिमो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लाक सं.-3,भूतल, केंद्रीय सदन, सैक्टर-9, चण्डीगढ़-160017
जम्मू व कश्मीर	बी	जम्मू(1004), लेह (1005), श्रीनगर(1007)	
हरियाणा	सी	हिसार(1803)	
हिमाचल प्रदेश	डी	हमीरपुर(1202), शिमला(1203)	
पंजाब	इ	भटिण्डा(1401),जालंधर(1402)	
दिल्ली	एफ	दिल्ली(2201),	क्षेत्रीय निदेशक(उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लाक सं.12,सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110504
राजस्थान	जी	अजमेर(2401), अलवर (2402), भरतपुर(2403), बीकानेर(2404), जयपुर(2405),जोधपुर(2406), कोटा(2407), श्रीगंगानगर(2408), उदयपुर(2409),	
उत्तराखंड	एच	अलमोड़ा(2001) , देहरादून(2002), हलद्वानी(2003), श्रीनगर (उत्तराखण्ड) (2004)	

बिहार	आई	भागलपुर(3201),गया(3203), मुजफ्फरपुर (3205), पटना(3206)	क्षेत्रीय निदेशक(म.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 21-23 लाउदर रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211002
उत्तर प्रदेश	जे	आगरा(3001), इलाहाबाद (3003), बरेली(3005), गोरखपुर(3007), कानपुर(3009), लखनऊ(3010), मेरठ(3011), वाराणसी(3013)	
झारखंड	के	रांची(4205),	क्षेत्रीय निदेशक(पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ भवन,(आठवां तल), 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700020
उड़ीसा	एल	बरहमपुर(4602),भुवनेश्वर(4604), कटक(4605), क्योझारगढ़(4606) संबलपुर(4609)	
पश्चिम बंगाल	एम	बारासात(4402), बरहमपुर(4403), चिनसुरा(4405), जलपाईगुड़ी (4408), कोलकाता(4410), मालदा(4412) मिदनापुर(4413), सिलीगुडी(4415),	
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	एन	पोर्ट ब्लेयर (4802),	
सिक्किम	ओ	गंगटोक(4001),	
अरुणाचल प्रदेश	पी	ईटानगर(5001),	क्षेत्रीय निदेशक(पूर्वो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लैक्स वेस्ट एंड ब्लॉक, लास्ट गेट, बेलतोला बशिष्ठ रोड दिसपुर, गुवाहाटी असम-781006
असम	क्यू	डिब्रूगढ़(5102), ग्वालपाड़ा(5104), गुवाहाटी (दिसपुर)(5105), जोरहाट(5107), लखीमपुर(5109) सिलचर(5111), तेजपुर(5112)	
मणिपुर	आर	इम्फाल(5501),चुड़ाचान्दपुर(5502)	
मेघालय	एस	शिलांग(5401),तुरा(5402)	
मिजोरम	टी	आइजोल(5701)	
नागालैंड	यू	कोहिमा(5302)	
त्रिपुरा	वी	अगरतला (5601)	
छत्तीसगढ़	डब्ल्यू	अम्बिकापुर(6201), बिलासपुर(6202), जगदलपुर(6203), रायपुर(6204), दुर्ग(6205)	उप-निदेशक(म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, जे-5 अनुपम नगर, रायपुर छत्तीसगढ़-492001
मध्यप्रदेश	वाई	भोपाल(6001), छिंदवाड़ा(6003), गुना(6004), ग्वालियर(6005), इंदौर(6006) जबलपुर(6007) , खण्डवा(6009), रतलाम(6011), सतना(6014) , सागर(6015)	
दमन एवं दीव तथा गोवा	जैड	पणजी(7801)	क्षेत्रीय निदेशक(प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल,दक्षिण विंग,प्रतिष्ठा भवन, 101,एम.के.रोड, मुम्बई, महाराष्ट्र-400020
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली	1	अहमदाबाद(7001), वदोदरा (7002), राजकोट (7006), सूरत(7007), भावनगर(7009), कच्छ(7010),	
महाराष्ट्र	2	अमरावती (7201), औरंगाबाद (7202), कोल्हापुर(7203), मुम्बई(7204), नागपुर(7205), नांदेड़(7206), नासिक (7207), पुणे(7208),चन्द्रपुर(7209), जलगांव(7210), भंडारा(7211), ठाणे(7212) अकोला(7213)	

आन्ध्र प्रदेश	3	गुंटूर(8001), कर्नूल(8003), राजमुंदरी(8004),तिरूपति(8006), विशाखापट्नम(8007)	क्षेत्रीय निदेशक(द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ईवीके सम्पत बिल्डिंग, दूसरा तल, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु-600 006
तेलंगाना	4	हैदराबाद(8601),निजामाबाद(8602), वारंगल(8603)	
पुडुचेरी तथा तमिलनाडु	5	पुडुचेरी(8401), चेन्नई(8201), कोयम्बटूर(8202), मदुरै(8204), तिरूनेलवेली(8207), तिरूचिरापल्ली(8206)	
कर्नाटक	6	बंगलोर(9001), धारवाड़ (9004), गुलबर्गा(9005), मंगलोर(9008),	क्षेत्रीय निदेशक(के.क.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, पहली मंजिल,"ई" विंग, केंद्रीय सदन,कोरमंगला, बंगलोर, कर्नाटक-560034
केरल	7	कोची(9204), कोझीकोड (कालीकट) (9206), तिरूवनन्तपुरम(9211), त्रिसूर(9212),	
लक्षद्वीप द्वीपसमूह	8	कावारत्ती(9401)	

टिप्पणी-I : किन्हीं भी परिस्थितियों में केन्द्र में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी । इसलिए, अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रों का चुनाव **सावधानीपूर्वक** करना चाहिए तथा अपने आवेदन पत्र में **उसे ठीक-ठीक दर्शाना चाहिए ।**

9. परीक्षा की योजना:

(क) लिखित परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम

लिखित परीक्षा में (प्रश्नपत्र-I) **वस्तुनिष्ठ प्रकार** का तथा (प्रश्नपत्र-II) **वर्णनात्मक प्रकार** का प्रश्नपत्र होगा जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

प्रश्नपत्र-I

	विषय	**अधिकतम अंक**	**सामान्य अभ्यर्थियों के लिए कुल अवधि / समय**	**दृष्टि दिव्यांग/ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए कुल अवधि / समय**
	सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति (25 प्रश्न)	**25**	**2 घंटे 10.00 बजे पूर्वाह्न से 12.00 बजे दोपहर तक (प्रात: 9.30 के बाद प्रवेश नहीं) अथवा 2.00 बजे अपराह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक (दोपहर: 1.30 के बाद प्रवेश नहीं)**	**2 घंटे 40 मिनट 10.00 बजे पूर्वाह्न से 12.40 बजे अपराह्न तक (प्रात: 9.30 के बाद प्रवेश नहीं) अथवा 2.00 बजे अपराह्न से 4.40 बजे अपराह्न तक (दोपहर: 1.30 के बाद प्रवेश नहीं)**
	संख्यात्मक अभिरुचि (25प्रश्न)	**25**		
	सामान्य अंग्रेजी (50 प्रश्न)	**50**		
	सामान्य जानकारी (50प्रश्न)	**50**		

प्रश्नपत्र-।।

विषय	अधिकतम अंक	सामान्य अभ्यर्थियों के लिए कुल अवधि / समय	दृष्टि दिव्यांग/ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए कुल अवधि / समय
अंग्रेजी अथवा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भाषा में लघु निबन्ध/पत्र	50	30 मिनट	45 मिनट

टिप्पणी-।: प्रश्नपत्र-। में **वस्तुनिष्ठ प्रकार- बहु-विकल्पीय प्रश्न** शामिल होंगे । प्रश्नपत्र **अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में** तैयार किए जाएंगे । आयोग के पास तकनीकी संभावता के आधार पर क्षेत्रीय भाषाओं में अतिरिक्त रूप से प्रश्नपत्र तैयार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

टिप्पणी- ।।: प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नकरात्मक अंक दिए जाएंगे । अतएव, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस तथ्य को ध्यान में रखें ।

टिप्पणी-III प्रश्नपत्र-।। वर्णनात्मक होगा जिसमें अभ्यर्थी को अंग्रेजी में अथवा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में लघु निबंध/पत्र लिखना होगा ।

टिप्पणी-IV प्रश्नपत्र-।। केवल अर्हक स्वरूप का होगा जिसका आशय, इस पद के समूह ग के रूप में पुन: श्रेणीकरण के तथ्य को ध्यान में रखते और कार्य अपेक्षाओं के अनुरूप बुनियादी भाषा कौशल का परीक्षण किया जाना अपेक्षित है ।

टिप्पणी-V प्रश्नपत्र-।। केवल उन अभ्यर्थियों के लिए होगा जो आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणीयों के लिए प्रश्नपत्र-। में निर्धारित की गई कट-ऑफ को पूर्ण करते हों । चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित किए गए समय पर प्रश्नपत्र परीक्षा का दिनांक व समय संसूचित कर दिया जाएगा । आयोग के पास प्रश्नपत्र-। के किसी भी भाग में अलग से अर्हक मानक निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

लिखित परीक्षा हेतु सूचनात्मक पाठ्यक्रम

प्रश्नपत्र-।: **पद संबंधी कार्यो को ध्यान में रखते हुए 'सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति' पर प्रश्न गैर-शाब्दिक होंगे । संख्यात्मक अभिरुचि और सामान्य अंग्रेजी पर प्रश्न साधारण और उस स्तर के होंगे कि एक औसतन मैट्रिकुलेट उनका आसानी से उत्तर दे सके । सामान्य जानकारी पर प्रश्न भी उसी स्तर के होंगे ।**

सामान्य बुद्धिमता : इसमें गैर शाब्दिक प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे । इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना,स्थानिक अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण,निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखला आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे । इस परीक्षण में अभ्यर्थी की अमूर्त विचारों और चिह्नों और उनके संबंध अंकगणितीय संगणना और अन्य विश्लेषणात्मक कार्यों से निपटने में अभ्यर्थी की योग्यताओं की जांच के लिए प्रश्न भी सम्मिलित होंगे ।

अंग्रेजी भाषा : अभ्यर्थी की अंग्रेजी भाषा की समझ की जांच करने के अतिरिक्त, इसकी शब्दावली, व्याकरण, वाक्य गठन,समानार्थक,विलोमार्थक और उसका सही प्रयोग इत्यादि, उसकी लेखन योग्यता की जांच भी की जाएगी ।

संख्यात्मक अभिरूचि :
इस प्रश्न पत्र में संख्या प्रणाली से संबंधित समस्याओं, पूर्णांक का अभिकलन, दशमलव और भिन्न तथा संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशतता , अनुपात तथा समानुपात,औसत,ब्याज, लाभ और हानि, बट्टा, सारणी तथा ग्राफ का प्रयोग, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, समय और कार्य इत्यादि से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएंगे ।

सामान्य जानकारी : अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करने के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे । सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्नपत्र पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है । इस परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, भारतीय संविधान सहित सामान्य राज्य-व्यवस्था, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे । ये प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिनके लिए किसी विषय के विशेष अध्ययन की जरुरत नहीं होती ।

टिप्पणी : 40% और उससे अधिक की दृष्टि विकलांगता और **प्रलिपिक** का विकल्प देने वाले दृष्टि विकलांग अभ्यर्थियों के लिए **सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति/सामान्य जानकारी प्रश्न पत्र में मानचित्र/ग्राफ/आरेख/सांख्यिकीय आकड़े इत्यादि के कोई घटक नहीं होंगे ।**

प्रश्नपत्र-II: प्रश्नपत्र, पद के लिए निर्धारित की गई शैक्षिक योग्यता के अनुरूप मूल भाषा कौशल परीक्षण करने के लिए अंग्रेजी व हिन्दी में और जहां तक सम्भव हो, अनुबंध-X में उल्लिखित संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य भाषाओं में तैयार किया जाएगा । अभ्यर्थियों को अंग्रेजी अथवा संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भाषा में एक लघु निबंध/पत्र लिखना होगा ।

9. लिखित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों द्वारा अनुपालन हेतु सामान्य अनुदेश

(i) अभ्यर्थियों को स्वयं अपने हाथ से प्रश्नपत्र लिखने/उत्तर दर्शाने होंगे ।

(ii) प्रश्न पत्रों में, जहां कहीं भी आवश्यक हो,भार और माप की केवल मीट्रिक प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा ।

(iii) अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति में निर्दिष्ट साधनों को छोड़कर कैल्क्यूलेटर और अन्य इलैक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है । इसलिए इन्हें परीक्षा परिसर/स्थल के अन्दर नहीं लाना चाहिए ।

(iv) यदि किसी अभ्यर्थी के पास चालू अथवा बंद स्थिति में मोबाइल फोन अथवा वायरलेस संचार का कोई अन्य माध्यम पाया जाता है तो उसकी अभ्यर्थिता उसी क्षण निरस्त कर दी जाएगी ।

11. चयन का तरीका:

अभ्यर्थियों को उनकी प्रश्नपत्र-I में लिखित परीक्षा के निष्पादन के आधार पर प्रश्नपत्र-II के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा । प्रश्नपत्र-II केवल अर्हक स्वरूप का होग । प्रश्नपत्र-I की कट-ऑफ तथा प्रश्नपत्र में प्राप्त अर्हक अंक प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश में रिक्तियों के लिए अलग हो सकते है जिनका निर्धारण आयोग के विवेकाधिकार पर किया जाएगा । प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए

अभ्यर्थियों का अंतिम रूप में चयन प्रश्नपत्र-II में निर्धारित बेसिक अर्हक मानकों की पूर्ति किए जाने की शर्त पर प्रश्नपत्र-I में उनकी लिखित परीक्षा के निष्पादन के आधार पर किया जाएगा ।

परन्तु अजा, अजजा, अपिव और शावि के वे अभ्यर्थी जो अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं,उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा । **ऐसे अजा, अजजा, अपिव और शावि अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में से सहयोजित किया जाएगा ।** आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा,अजजा, अपिव और शा.वि. श्रेणी के उन योग्य अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी जो कि अनारिक्षत श्रेणी की योग्यता सूची में अंतिम सामान्य अभ्यर्थी से योग्यता क्रम में नीचे हैं किंतु मानकों में छूट देने पर वे अन्य प्रकार से नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए जाएं ।

शारीरिक दिव्यांग (अ.दि./दृ.दि) श्रेणी के अभ्यर्थी को, जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, एक्सटेंडिड जोन ऑफ कंसीडरेशन आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है, आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा, न कि सामान्य रिक्तियों में बशर्ते कि ऐसा अभ्यर्थी चयन के लिए उपयुक्त हो । आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जा सकता है । जहां तक भूपूसै के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूपूसै को आयु में कटौती करने की अनुमति है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जा सकता ।

जब तक कि सरकार यथा आवश्यक जांच के उपरांत संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी हर प्रकार से सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त है। तब तक परीक्षा में सफलता से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता ।

12. <u>बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा</u>

उन मामलों में जहां एक से अधिक अभ्यर्थी एक समान कुल प्राप्तांक प्राप्त करते हैं, तो बराबरी(टाई) का निपटारा एक के बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगा:-

(1) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नपत्र के भाग-III में अंकों को देखकर
(2) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नपत्र के भाग-II में अंकों को देखकर
(3) जन्मतिथि देखकर अर्थात् अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी ।
(4) नामों के वर्णानुक्रम पर विचार करते हुए, जिसमें पहले आने वाले नाम पर विचार किया जाएगा ।

13. <u>आवेदन कैसे करें :</u> <u>आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम द्वारा जमा किए जाएं</u> । आवेदन पत्र भरने के लिए विस्तृत अनुदेशों के लिए **अनुबंध-IIख** देखें ।

14. <u>परीक्षा में प्रवेश:</u>

सभी अभ्यर्थी जो **अंतिम तिथि** तक इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन करते हैं, उन्हें **अनुक्रमांक** दिया जाएगा । यह उन्हें स्तर-I परीक्षा की तिथि से **दो सप्ताह** पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा । यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त अपलोड की गई सूची में अपना नाम नहीं पाता है तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए । ऐसा न करने पर परीक्षा में बैठने संबंधी दावे पर विचार किए जाने से वह वंचित हो जाएगा ।

अभ्यर्थियों को परीक्षा में उपस्थित होते समय कम से कम एक पहचान पत्र की प्रति जैसे ड्राईविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की पहचान पत्र, आयकर पैन **मूल रूप में तथा वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश प्रमाण पत्र** लाना चाहिए, जिसे न लाने पर उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

अभ्यर्थियों द्वारा उपयोग किए गए फोटोग्राफ हाल ही के होने चाहिए, तनाव रहित चेहरा हों तथा हल्के रंग में रंगीन फोटो, अधिमानत: श्वेत पृष्ठ भूमि हो। यदि फ्लैश का उपयोग किया गया हो तो यह सुनिश्चित करें कि आँखें लाल ना हों, तथा धूप का चश्मा लगाया गया हो तो आँखे स्पष्ट दिखाई दें । पूरे फोटों में चेहरा 80 प्रतिशत से कम न हो। फोटो ग्राफ 8 बिट्स जे पी जी फारमेट्स में होना चाहिए तथा इसका आकार 100 X 120 (पिक्सल) रिजोल्यूशन के साथ 30 के बी से 50 के बी का होना चाहिए तथा हस्ताक्षर का आकार 140X 60(पिक्सल) रिजोल्यूशन के साथ 1 के बी से 12 के बी का होना चाहिए ।

अभ्यर्थियों को, यदि आवश्यक हो तो, निरीक्षक की उपस्थिति में प्रवेश प्रमाणपत्रों की आयोग की प्रति में चिपकाने के लिए पासपोर्ट आकार के 03 फोटोग्राफ लाने चाहिए। जिन अभ्यर्थियों के पास फोटोग्राफ नहीं होंगे उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह उसी फोटोग्राफ जिसे अपलोड किया गया/आवेदन पत्र पर चिपकाया गया था कि 10 प्रतियाँ परीक्षा की समस्त प्रक्रिया पूरी होने तक अपने पास रखें ताकि पहचान आसानी से की जा सकें ।

15. <u>दुर्व्यवहार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध कार्रवाई :</u>

अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि उन्हें आवेदन फार्म भरते समय कोई गलत विवरण नहीं देना चाहिए अथवा कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपानी नहीं चाहिए । अभ्यर्थियों को यह चेतावनी भी दी जाती है कि उन्हें कोई हेर-फेर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए अथवा दस्तावेज में अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत सत्यापित प्रमाणित प्रति में कोई गलत प्रविष्टि नहीं करनी चाहिए न ही उन्हें नकली/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए । यदि ओएमआर पत्रक भरने में कोई अशुद्धि अथवा कोई विसंगति पाई जाती है, तो उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा ।

<u>निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के संबंध में उनके विरूद्ध आपराधिक कार्रवाई/वारित किए जाने के पूर्वाग्रह के बिना आयोग की परीक्षा से जहाँ भी आवश्यक हो उनकी अभ्यर्थिता भर्ती के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए निरस्त कर दी जाएगी :</u>

(i) परीक्षा केन्द्र के परिसरों में मोबाइल फोन एवं अन्य सहायक उपकरण तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक गैजिट अपने पास रखने पर, चाहें इनका प्रयोग हो रहा है या बन्द स्थिति में हो ।
(ii) कदाचार में लिप्त पाए जाने पर ।
(iii) परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर
(iv) किसी भी प्रकार से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त किया हो ।
(v) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराया हो ।
(vi) जाली दस्तावेज अथवा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिनमें हेर-फेर किया गया हो ।
(vii) गलत अथवा झूठे वक्तव्य दिए हैं, अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया गया है ।
(viii) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया हो ।
(ix) परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षक, निरीक्षक अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार किया हो।
(x) परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षा भवन से उत्तर-पुस्तिका अपने साथ उठाकर ले गया हो या इसे परीक्षा के दौरान अप्राधिकृत व्यक्ति को दिया हो ।
(xi) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को शारीरिक तौर से हानि पहुँचाई हो या डराया, धमकाया हो ।

(xii) विज्ञप्ति में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा न करते हुए परीक्षा के लिए अपात्र होना ।

(Xiii) भर्ती के किसी भी चरण में किसी भी आधार पर जिसे आयोग अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए पर्याप्त कारण समझे अभ्यर्थिता रद्द भी की जा सकती है।

16. आयोग का निर्णय अंतिम :

पात्रता,आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा(ओं)तथा साक्षात्कार के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, पदों/संगठनों के चयन तथा आबंटन संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा ।

17. न्यायालय का क्षेत्राधिकार

इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है ।

18. रोजगार के अवसरों में बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुँच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.ज्ञा. तहत जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चात् आयोग अपने पोर्टल पर अभ्यर्थियों का स्कोर तथा रैंक प्रदर्शित करेगा। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परीक्षा में अभ्यर्थियों के रोल नं.- स्कोर रैंक के अतिरिक्त अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चात अभ्यर्थी का विवरण जैसे अभिभावक/पति का नाम, शैक्षिणिक योग्यता, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग (पुरुष/महिला) अर्हक परीक्षा में कुल अंक ई-मेल सहित संपूर्ण पता भी सार्वजनिक किया जाएगा। तथापि अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरते समय इस सूचना को सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण न करने का विकल्प होगा।

19. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

1.	आयोग ने विभिन्न राज्य/संघ राज्य प्रदेशों में मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ(एम टी एस) (गैर तकनीकी) के समूह ग पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन दिया है जिसके लिए मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष न्यूनतम योग्यता है ।
2.	एम.टी.एस.(गैर तकनीकी) के पद पहले समूह घ पद जैसे चपरासी, दफ्तरी, जमादार, कनिष्ठ गस्टेटनर परिचालक, फरास, चौकीदार, माली, इत्यादि के रूप में जाने जाते थे । पदों के कर्तव्य के विवरण के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध का. एवं प्र. वि. के दिनांक 30.04.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एबी-14017/6/2009-स्था(आर.आर.) का अनुबंध-।। देख जा सकता है ।
3.	आयोग लिखित परीक्षा के समय, पात्रता संबंधी तथा अन्य पहलुओं की संवीक्षा (छानबीन) नहीं करेगा और इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से ही स्वीकार की जाएगी । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु इत्यादि की अपेक्षाओं को भली-भांति देख लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे इन पदों के लिए पात्र हैं । इस संबंध में प्रमाणिक दस्तावेजों की प्रतियां केवल उन्हीं अभ्यर्थियों से मांगी जाएगी जो लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करेंगे । संवीक्षा (छानबीन) करने पर यदि यह पाया जाता है कि आवेदन पत्र में किया गया कोई दावा सही नहीं है, तो अभ्यर्थिता रद्द (अस्वीकार)कर दी जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।
4.	**अभ्यर्थियों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वे इस विज्ञप्ति में उल्लिखित विस्तृत अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें जो आयोग की वेबसाइट : http://ssc.nic.in, ssc-cr.org, sscer.org, sscner.org.in, sscwr.net, sscsr.gov.in, ssckkr.kar.nic.in, sscmpr.org, sscnwr.org.in; तथा sscnr.net.in पर भी उपलब्ध हैं ।**

5.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शा.दि./भूपूसै श्रेणियों से संबंधित आरक्षण प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
6.	केवल 40% और उससे अधिक दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थी को दृष्टि दिव्यांग के रूप में माना जाएगा और वे दृष्टि दिव्यांग के आरक्षण के हकदार है ।
7.	आयु में छूट का दावा करने वाले केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को अपने कार्यालय से लगातार सेवा की अवधि के संबंध में विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से तत्काल पूर्व अवधि में कम से कम तीन वर्ष की लगातार सेवा अवधि के संबंध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए । उनके चयन की स्थिति में उनकी नियुक्ति के समय तक वे केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारी होने चाहिए ।
8.	**शुल्क:** केवल एक सौ रुपए (100/-रुपए) सभी महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों (आरक्षण के लिए पात्र) से संबंधित अभ्यर्थियों को सरकारी आदेश के अनुसार शुल्क से छूट प्राप्त है।
9.	अभ्यर्थियों को अपना नाम, जन्म तारीख, पिता का नाम और माता का नाम बिलकुल वैसा ही लिखना चाहिए जैसा कि मैट्रिक प्रमाण पत्र में दिया गया है अन्यथा उनको दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग के संज्ञान में जब कभी भी यह तथ्य आने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
10.	**अंतिम तिथि : 30.01.2017(सांय 5.00 बजे तक) ।**
11.	वेबसाइट http://ssconline.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किया जा सकता है आयोग ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए एक सरलीकृत प्रपत्र तैयार किया है। इस प्रक्रिया में अभ्यर्थी एक बार पंजीकरण करके कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित किसी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बार किया गया पंजीकरण अभ्यर्थी के लिए स्थायी डाटाबेस है। प्रणाली द्वारा प्रदान किया गया पंजीकरण आइडी तथा पासवर्ड सुरक्षित रखना चाहिए ताकि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में इसका प्रयोग किया जा सके। वेबसाइट ssc.nic.in पर अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण की सुविधा पूरे वर्ष उपलब्ध है। पंजीकृत अभ्यर्थी प्रणाली में लॉगइन कर आवेदन पत्र भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन (डेबिट कार्ड के माध्यम से शुल्क का भुगतान सहित) की सुविधा 31.12.2016 से 30.01.2017 (सायं 5.00 बजे) तक उपलब्ध होगी। तथापि वह अभ्यर्थी जो भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं वे दिनांक 30.01.2017 तक बैंक के कार्य समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक के निर्दिष्ट शाखा में भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके द्वारा चालन दिनांक 25.01.2017 को सायं 5.00 बजे से पहले जनरेट किया हो। चालान जनरेशन की सुविधा केवल दिनांक 25.01.2017 (सायं 5.00 बजे) तक उपलब्ध होगी।
12.	शुल्क का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक के चालान अथवा भारतीय स्टेट बैंक से एसबीआई चालान/नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड तथा डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है को छोड़कर अन्य माध्यम से किया गया भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन स्पष्ट रूप से निरस्त कर दिया जाएगा तथा किया गया भुगतान जब्त कर लिया जाएगा ।
13.	परीक्षा केन्द्रों के परिसर के अंदर मोबाइल और अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पाबंदी है । परीक्षा हॉल के अंदर इस प्रकार के किसी उपकरण के पाए जाने पर, चाहे वह उपयोग में हो अथवा बंद हो के मामलों की अनुचित साधनों का प्रयोग समझा जाएगा । ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा चलाने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इनकी अभ्यर्थिता निरस्त तथा इन्हें परीक्षा से वारित किया जा सकता है ।

14.	अभ्यर्थी अपना आवेदन भरने/प्रस्तुत करने के संबंध में, यदि कोई आवश्यकता हो, स्पष्टीकरण इत्यादि के लिए निम्नलिखित "हैल्पलाइन" से संपर्क कर सकते है :- (i) कर्मचारी चयन आयोग (उ क्षे), नई दिल्ली 01164715222, 01165021888, 01124363343, 01124360840 (ii) कर्मचारी चयन आयोग (म क्षे) इलाहाबाद 05322460511, 09452424060 (iii) कर्मचारी चयन आयोग (द क्षे) चेन्नै 09445195946, 04428251139 (iv) कर्मचारी चयन आयोग (प क्षे) मुम्बई 09869730700, 07738422705 (V) कर्मचारी चयन आयोग (पू क्षे) कोलकाता 09477461228, 09477461229 (vi) कर्मचारी चयन आयोग (म प्र क्षे) रायपुर 09407921504, 09407921505 (vii) कर्मचारी चयन आयोग (के क क्षे) बेंगलोर 08025502520, 09483862020 (viii) कर्मचारी चयन आयोग (पश्चिमो क्षे) चंडीगढ़ 09915509204, 09915509331 (ix) कर्मचारी चयन आयोग (पूर्वोत्तर क्षे) गुवाहाटी 09085073593, 09085015252
15.	विभिन्न परीक्षाओं के लिए उत्तर कुंजियां वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई हैं । किसी अभ्यावेदन के प्राप्ति होने पर , जब भी आवश्यक हो, विशेषज्ञ की मदद से संवीक्षा की जाती है तथा संशोधित उत्तर कुंजियों से मूल्यांकन किया जाएगा । उत्तर कुंजियों के संशोधन के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा ।
16.	अभ्यर्थी के चयन होने पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए उनकी पसंद के क्रम में आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 17 में राज्य वरीयता अवश्य भरनी चाहिए। यदि वे चाहते हैं कि किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए उनके नाम पर विचार न किया जाए तो वे कॉलम में 'X' का निशान जरूर लगाएं। (कृपया विज्ञप्ति का पैरा-8 देखें।)

अनुबंध-।।ख

ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया

टिप्पणी:ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 31.12.2016 से 30.01.2017(सायं 5.00बजे तक)उपलब्ध होगी ।

1. वेबसाइट www.ssconline.nic.in पर आवेदन ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं । इसके अनुदेश साइट पर उपलब्ध हैं । अभ्यर्थी को कुछ भी भरने अथवा विकल्प चुनने से पहले अनुदेश सावधानीपूर्वक पढ़ने चाहिएं । ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी को सभी अपेक्षित विवरण देने चाहिए । अनिवार्य क्षेत्रों को *(तारक) चिन्ह से अंकित किया गया है । ऑनलाइन फॉर्म निम्नलिखित दो भागों में भरे जाएंगे :

2. पंजीकरण भाग(पहले से पंजीकृत न करने के मामले में)
3. पंजीकरण भाग में अभ्यर्थी को मूलभूत सूचना भरनी होगी । विवरण जमा करने पर, अभ्यर्थी को विवरण की जाँच करने और आवेदन पत्र में किसी प्रकार का सुधार करने का सुझाव दिया जाएगा ।
4. उसके बाद पंजीकरण सं. तथा पासवर्ड वाला पेज तैयार किया जाएगा । अपना पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड नोट कर लें तथा सुरक्षित रख लें । आवेदन भाग के बिना आवेदन प्रक्रिया अधूरी है । पंजीकरण भाग में भुगतान संबंधी विवरण भरना, फोटोग्राफ और स्कैन किया गया हस्ताक्षर अपलोड करना शामिल है । ऑनलाइन आवेदन केवल तभी पूरे होंगे यदि अनुदेशों के अनुसार स्कैन किए हुए हस्ताक्षर और फोटो अपलोड किए गए होंगे ।
5. शुल्क का नकद भुगतान करने के लिए अभ्यर्थी आवेदन भाग को पूरा करने के बाद ऑनलाइन तैयार किए गए चालान का प्रिंट ले सकता है । यह अपेक्षित शुल्क भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जमा करें और निर्धारित तिथि और समय के भीतर प्रक्रिया को जारी रखें ।

6. फोटोग्राफ फाइल का डिजीटल आकार 30 के बी से कम और 50 के बी से ज्यादा और 100 पिक्सल चौड़ाई और 120 पिक्सल ऊचांई रेजॉल्यूशन का होना चाहिए ।

7. हस्ताक्षर जेपीजे फार्मेट में अपलोड करना चाहिए । हस्ताक्षर फाइल का डिजीटल आकार 12 के.बी. से कम और 1 के.बी. ज्यादा तथा 140 पिक्सल चौड़ाई और 60 पिक्सल ऊचांई रेजॉल्यूशन का होना चाहिए।

8. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक अनुदेशों को पढ़ लें ।

9. आवेदन पत्र में किसी भी विवरण में परिवर्तन/सुधार के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा । आवेदन पत्र में भरे गए किसी विवरण में जिस भी कारण से किए गए किसी प्रकार के सुधार/जोड़/विलोपन को न स्वीकार किए जाने से उत्पन्न किसी परिणाम के लिए कर्मचारी चयन आयोग उत्तरदायी नहीं होगा ।

10. **फोटोग्राफ/हस्ताक्षर के बिना अथवा धुंधला फोटोग्राफ/हस्ताक्षर युक्त अथवा किसी अन्य रूप से अपूर्ण आवेदन पत्र को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा ।**

अनुबंध-III

आयु में छूट चाहने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी कार्यरत हैं)

यह प्रमाणित किया जाता है कि *श्री/श्रीमती/कुमारी ______________________ केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं जो **अंतिम तिथि** को इस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा के साथ _________________ रू. के वेतनमान में ____________ के पद पर कार्य कर रहे/रही हैं।

हस्ताक्षर__________________

नाम __________________

कार्यालय की मुहर _______________

स्थान:

दिनांक:

(* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

अनुबंध IV

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर) ……………………………………(रैंक)…………………………(नाम)…………………………… …………………(दिनांक)……………………………को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे ।

स्थान: (कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक: कार्यालय की मुहर:

अनुबंध - V

अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं यह जानता/जानती हूं कि यदि उस भर्ती/ परीक्षा, जिससे यह आवेदन पत्र संबंधित है के आधार पर यदि मेरा चयन हो जाता है, तो मेरी नियुक्ति, नियोक्ता प्राधिकारी को मेरे द्वारा प्रस्तुत कागजी साक्ष्य पर उसकी इस संतुष्टि के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र सेना से विधिवत निर्मुक्त/ सेवानिवृत्त / कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा मैं भूपूसै समय समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय नागरिक सेवाओं और पदों पर पुनर्नियुक्ति नियम, 1979 की शर्तों के अधीन भूपूसै को देय लाभों का अधिकारी हूं ।

मैं यह भी समझता/समझती हूं कि यदि मैंने किसी भी समय इस नियुक्ति से पहले सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूपूसै के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाते हुए कोई रोजगार प्राप्त किया हो तो मैं इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भूपूसै के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति का पात्र नहीं हूंगा/ हूंगी ।

मैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना देता/देती हूं :
क) सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि ____________________
ख) कार्यमुक्ति की तिथि ____________________
ग) सशस्त्र बलों में सेवा की अवधि ____________________
घ) मेरी अंतिम यूनिट/कोर ____________________

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

अनुबंध VI

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता(या जीवित माता-पिता) सामान्यत: रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उ-ेश्य के अतिरिक्त सामान्यत: रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या सही प्रतिलिपि ।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*...................... ....

पुत्र/पुत्री...निवासी ग्राम/कस्बा/* ....

जिला/संभाग*................................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*...................के ....

जाति/जनजाति से संबधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950..
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950...
संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*...
संविधान (अनुसूचित जनजाति)संघ राज्य क्षेत्र आदेश,1951*..

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम,1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम,1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित ।

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956............................
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम)1976* द्वारा यथा संशोधित
संविधान
(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश,1959
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश,1962@

संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश,1964@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश,1967@
संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@
संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968@
संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश,1970@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश,1978@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश,1978@
संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश,1989@

संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,1990@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम,1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1996
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम,2002
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,2002
संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,2002
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,2007

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ……………………………………………के माता/पिता श्री/श्रीमती……………………………………………………निवासी ग्राम/कस्बा*……………………………जिला/संभाग*………………………………राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*………………………………………… को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो … …………………………जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो…………………………………… दिनांक ……………. …………….द्वारा जारी………………………………………राज्य / संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी……………………… और/या* उनका परिवार सामान्यत: ग्राम/कस्बा*………………… जिला/संभाग*…………………………राज्य/संघ राज्य क्षेत्र……………………………में रहता है ।

हस्ताक्षर……………………

**पदनाम……………….
(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान………………
दिनांक……………
*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।
@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।
% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यत: रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है ।

****जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची :-**

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल आफीसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यत: रहता है।

टिप्पणी :- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को **केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी** द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

अनुबंध-VII

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु ....पुत्र/पुत्री

.... ग्राम/कस्बा ....
जिला/संभाग ....राज्य ....
समुदाय से संबंधित हैं जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार संकल्प सं.....
.... दिनांक...................* के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।
श्री/श्रीमती/कु0 .... तथा/या उनका परिवार सामान्यत:.......... ......
.... राज्य के .... जिला/संभाग में रहता/रहते हैं ।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08. 09. 1993** के कार्यालय ज्ञापन सं 36012/22/93 स्था.(एससीटी) की अनूसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

जिलाधीश.............................
या उपायुक्त आदि....................

दिनांक:
मुहर:

---

*प्रमाणपत्र को जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प के ब्यौरे का उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लिखित किया गया है ।

** समय समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त सामान्यत: शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है ।

अनुबंध -VIII(प्रारूप-II)

नि:शक्तता प्रमाण पत्र
(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले में एवं अधांपन के मामले में)
(नियम 4 देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

नि:शक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

(दि./म/.व.)

प्रमाणपत्र संख्या.......................................
दिनांक..................................

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी------------------------------------सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री ---जन्म तिथि ------------------आयु......

................पुरूष/महिला----------------- की सावधानीपूर्वक जांच की है ।

पंजीकरण संख्या......................................स्थायी आवास मकान नं...............................

वार्ड/गांव/गली...............................डाकघर......................जिला............................

राज्य................................

जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला :

- गतिविषयक विकलांगता
- नेत्रहीनता का है
  (जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में.............................निदान किया गया है ।

(क) वे दिशानिर्देशों के अनुसार अपने.......................(शारीरिक अंग)(उल्लेख करें) के संबंध में ....%(अंकों में).......................प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी शारीरिक क्षति/नेत्रहीनता से पीडित हैं ।

2. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए है :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के
प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए नि:शक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुबंध -VIII (प्रारूप-IV)

नि:शक्तता प्रमाण पत्र

(प्रारूप ।। में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

(नियम 4 देखें)

नि:शक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणपत्र संख्या.......................................

दिनांक..................................

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-------------------------------------सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री --जन्म तिथि -----------------आयु......
(दि./म/.व.)
................पुरूष/महिला---------------- की सावधानीपूर्वक जांच की है ।

पंजीकरण संख्या.......................................स्थायी आवास मकान नं...............................

वार्ड/गांव/गली................................डाकघर......................जिला............................

राज्य...............................जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि उनका मामला...............**नि:शक्तता** है । नि:शक्तता के लिए(ब्योरा दिया जाए) दिशा निर्देशानुसार(ब्योरा दिया जाए) उनकी स्थायी शारीरिक क्षति/नि:शक्तता के स्तर का मूल्यांकन किया गया है एवं इसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त नि:शक्तता के सामने दर्शाया गया है :-

क्रम सं.	नि:शक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक विकलांगता(%में)
1.	गति विषयक विकलांगता	@		
2.	अल्प दृष्टि	#		
3.	नेत्रहीनता	दोनो आँखें		
4.	श्रवण विकलांगता	$		
5.	मानसिक मंदता	X		
6.	मानसिक बीमारी	X		

(कृपया उस नि:शक्तता को काट दे जो लागू न हो)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है ।

3. नि:शक्तता का पुन:निर्धारण :
(i) आवश्यक नहीं है
अथवा
(ii) ....वर्ष ....माह के पश्चात पुन:निर्धारण की सिफारिश की जाती है और

इसलिए यह प्रमाणपत्र .... तक मान्य रहेगा ।
तारीख माह वर्ष

@ उदाहरणत: बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणत: एक आँख/दोनों आँखें

$ उदाहरणत : बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए है :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए नि:शक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर

(नाम एवं मुहर)

यदि प्रमाणपत्र जारी करने वाला चिकित्सा प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी नहीं है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी हस्पताल के प्रमुख के प्रति हस्ताक्षर एवं मुहर

टिप्पणी : यदि प्रमाणपत्र जारी करने वाला चिकित्सा प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह तभी मान्य होगा जब उस पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर हों ।

अनुबंध -IX

आवश्यक शैक्षिक योग्यता कोड

शैक्षिक योग्यता	**कोड**
मैट्रिकुलेशन	01
इंटरमीडिएट/उच्चतर माध्यमिक	02
प्रमाणपत्र	03
डिप्लोमा	04
बी.ए.	05
बी.ए(आनर्स)	06
बी.कॉम	07
बी.कॉम(आनर्स)	08
बी.एस.सी	09
बी.एस.सी(आनर्स)	10
बी.एड.	11
एल.एल.बी	12
बी.ई.	13
बी.टैक	14
ए.एम. आई.ई(भाग क व भाग ख)	15
बी.एस.सी(इंजी.)	16
बी.सी.ए	17
बी.बी.ए	18
रक्षा(भारतीय सेना,वायु सेना,नौ सेना) द्वारा जारी स्नातक डिग्री	19
पुस्तकालय स्नातक	20
बी.फार्मा	21
आई सी डब्ल्यू ए	22
सी. ए.	23
पी.जी.डिप्लोमा	24
एम.ए	25
एम.कॉम	26
एम.एस.सी.	27
एम.एड	28
एल.एल.एम	29
एम. ई.	30
एम. टैक	31
एम.एस.सी(इंजी.)	32
एम.सी.ए	33
एम.बी.ए	34
अन्य	35

शैक्षिक योग्यता के विषय कोड

शैक्षिक योग्यता का विषय	**कोड**
इतिहास	01
राजनीति विज्ञान	02
अर्थशास्त्र	03
अंग्रेजी साहित्य	04
हिंदी साहित्य	05
भूगोल	06

वाणिज्य	07
विधि	08
भौतिक विज्ञान	09
रसायन विज्ञान	10
गणित	11
सांख्यिकी	12
वनस्पति शास्त्र	13
प्राणी विज्ञान	14
कृषि विज्ञान	15
सिविल अभियांत्रिकी	16
वैद्युत अभियांत्रिकी	17
यांत्रिक अभियांत्रिकी	18
इलैक्ट्रोनिकी अभियांत्रिकी	19
इलैक्ट्रोनिकी एवं ऊर्जा अभियांत्रिकी	20
इलैक्ट्रोनिकी एवं संचार अभियांत्रिकी	21
इलैक्ट्रोनिकी एवं इंस्टूमेंटेशन अभियांत्रिकी	22
कृषि अभियांत्रिकी	23
कम्प्यूटर विज्ञान	24
कम्प्यूटर अनुप्रयोग	25
सूचना प्रौद्योगिकी	26
पुस्तकालय विज्ञान	27
लेखाशास्त्र	28
वर्क एकाऊटेंसी	29
व्यापार प्रबंधन	30
जन संचार	31
पत्रकारिता	32
जन संचार एवं पत्रकारिता	33
फॉर्मेसी	34
फोटोग्राफी	35
मुद्रण प्रोद्यौगिकी	36
नर्सिंग	37
असमी	38
बंगाली	39
मलयालम	40
तेलुगु	41
कन्नड	42
तमिल	43
मराठी	44
गुजराती	45
उर्दू	46
संस्कृत	47
अन्य	48

अनुबंध -X

प्रश्नपत्र-II के लिए भाषा कोड

भाषा	*कोड*
असमी	01
बंगाली	02
बोडो	03
ढोगरी	04
गुजराती	05
हिन्दी	06
कन्नड़	07
कश्मीरी	08
कोकंणी	09
मैथली	10
मलयालम	11
मणिपुरी(मैती अथवा मैथी भी)	12
मराठी	13
नेपाली	14
उड़िया	15
पंजाबी	16
संस्कृत	17
संथाली	18
सिंधी	19
तमिल	20
तेलगू	21
उर्दू	22
अंग्रेजी	23

अनुबंध -XI

मल्टी टास्किंग(गैर तकनीकी) परीक्षा,2016 के पद के लिए अनंतिम रिक्तियां

मध्य क्षेत्र

राज्य	अना	अपिव	अजा	अजजा	योग	भूपूसै	अदि	श्रदि	दृदि
उत्तर प्रदेश	121	65	22	27	**235**	0	0	0	0
बिहार	52	20	10	8	**90**	0	0	0	0
योग	**173**	**85**	**32**	**35**	**325**	**0**	**0**	**0**	**0**

पू.क्षे.

राज्य	अना	अपिव	अजा	अजजा	योग	भूपूसै	अदि	श्रदि	दृदि
पश्चिम बंगाल	232	171	44	44	**491**	42	6	1	4
ओड़िसा	39	22	7	6	**74**	3	0	0	0
झारखण्ड	6	2	1	1	**10**	0	0	0	0
सिक्किम	1	0	0	0	**1**	1	0	0	0
अंडमान निकोबाद द्वीप	24	17	10	7	**58**	6	0	1	0
योग	**302**	**212**	**62**	**58**	**634**	**52**	**6**	**2**	**4**

के.क.क्षे.

राज्य	अना	अपिव	अजा	अजजा	योग	भूपूसै	अदि	श्रदि	दृदि
कर्नाटक	185	119	51	25	380	14	0	0	0
केरल	144	88	32	20	284	20	0	1	1
लक्ष्यद्वीप	1	1	0	0	2	0	0	0	0
योग	**330**	**208**	**83**	**45**	**666**	**34**	**0**	**1**	**1**

उ.क्षे.

राज्य	अना	अपिव	अजा	अजजा	योग	भूपूसै	अदि	श्रदि	दृदि
दिल्ली	1534	966	162	202	**2864**	192	24	9	9
राजस्थान	179	99	17	3	**298**	27	4	3	3
उत्तराखण्ड	18	6	0	0	**24**	0	0	0	0
योग	**1731**	**1071**	**179**	**205**	**3186**	**219**	**28**	**12**	**12**

उ.पू.क्षे.

राज्य	अना	अपिव	अजा	अजजा	योग	भूपूसै	अदि	श्रदि	दृदि
असम	42	30	25	11	108	2	1	1	0
अरूणाचल प्र.	25	8	3	3	39	2	0	1	0
मणिपुर	3	1	1	0	5	0	0	1	0
नागालैंड	4	1	1	6	12	1	0	0	1
मेघालय	16	20	3	5	44	5	1	2	0
मिजोरम	2	5	1	0	8	0	2	0	0
त्रिपुरा	6	2	2	0	10	1	0	0	0
योग	**98**	**67**	**36**	**25**	**226**	**11**	**4**	**5**	**1**

पश्चिमो.क्षे.

राज्य	अना	अपिव	अजा	अजजा	योग	भूपूसै	अदि	श्रदि	दृदि
पंजाब	70	18	4	1	**93**	1	0	0	1
जम्मू	63	19	7	2	**91**	2	0	0	1
चंडीगढ़	56	48	7	11	**122**	4	0	2	1
हिमाचल प्र.	80	32	7	4	**123**	2	0	1	0
हरियाणा	78	17	5	5	**105**	2	0	1	0
योग	**347**	**134**	**30**	**23**	**534**	**11**	**0**	**4**	**3**

म.प्र.क्षे.

राज्य	अना	अपिव	अजा	अजजा	योग	भूपूसै	अदि	श्रदि	दृदि
मध्य प्रदेश	255	129	46	34	**464**	37	2	1	1
छत्तीसगढ़	42	22	6	2	**72**	9	2	1	1
योग	**297**	**151**	**52**	**36**	**536**	**46**	**4**	**2**	**2**

द.क्षे.

राज्य	अना	अपिव	अजा	अजजा	योग	भूपूसै	अदि	श्रदि	दृदि
आंध्र प्रदेश	58	48	7	12	**125**	7	1	1	1
तमिलनाडु	292	78	72	11	**453**	54	2	1	0
पुडूचेरी	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
तेलेंगाना	66	34	11	16	**127**	7	1	0	1
योग	**416**	**160**	**90**	**39**	**705**	**68**	**4**	**2**	**2**

प.क्षे.

राज्य	अना	अपिव	अजा	अजजा	योग	भूपूसै	अदि	श्रदि	दृदि
महाराष्ट्र	436	312	95	72	**915**	59	5	2	1
गुजरात	265	163	80	56	**564**	73	1	1	0
गोवा	7	2	0	0	**9**	0	0	0	0
योग	**708**	**477**	**175**	**128**	**1488**	**132**	**6**	**3**	**1**

मल्टी टास्किंग(गैर तकनीकी) परीक्षा,2016 के पद के लिए अनंतिम रिक्तियां(क्षेत्रवार)

क्षेत्र	अना	अपिव	अजा	अजजा	योग	भूपूसै	अदि	श्रदि	दृदि
मध्य क्षेत्र	173	85	32	35	**325**	0	0	0	0
पू.क्षे	302	212	62	58	**634**	52	6	2	4
के.क.क्षे.	330	208	83	45	**666**	34	0	1	1
उ.क्षे.	1731	1071	179	205	**3186**	219	28	12	12
पूर्वोत्तर क्षे.	98	67	36	25	**226**	11	4	5	1
पश्चिो.क्षे.	347	134	30	23	**534**	11	0	4	3
म.प्र.क्षे.	297	151	52	36	**536**	46	4	2	3
द.क्षे.	416	160	90	39	**705**	68	4	2	2
प.क्षे.	708	477	175	128	**1488**	132	6	3	1
योग	**4402**	**2565**	**739**	**594**	**8300**	**573**	**52**	**31**	**27**